

V/D  
15-12  
AMR


मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 14/12/2021

क्र. एफ 16-27/2021/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्धमान यार्न्स यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईल लि. द्वारा सतलापुर, मण्डीदीप, जिला रायसेन में रु. 219.10 करोड़ के प्रस्तावित स्थाई पूंजी निवेश से विस्तार हेतु प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जाती हैं-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता - कम्पनी द्वारा विस्तार अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) के प्रावधान अनुसार प्रदान किया जाये। विस्तार परियोजना को रोजगार गणक का लाभ शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा।
2. विद्युत शुल्क से छूट - विस्तार परियोजना हेतु विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्षों हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाती है।
3. विद्युत टैरिफ में रियायत - विस्तार परियोजना हेतु विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रु. 1/- प्रतियूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
4. हरित औद्योगिकीकरण - विस्तार परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) के प्रावधान अनुसार हरित औद्योगिकीकरण सहायता शर्तों के अध्याधीन देय होगी।
5. ब्याज अनुदान - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) के अनुसार टेक्सटाईल उद्योगों को प्रावधानित विशिष्ट वित्तीय सहायता अन्तर्गत भारत सरकार की टफ स्कीम में वस्त्र मंत्रालय के संकल्प क्रमांक 6/4/2007-सी 71 नवम्बर 2007 (समय-समय पर संशोधनों सहित) में वर्णित टफस अनुमोदित यंत्र तथा संयंत्र हेतु लिये गये टर्म लोन पर ब्याज अनुदान शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जायेगी।
6. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
7. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार

  
(संजय कुमार शुक्ल)  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन


WC औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
निरंतर.....

5

पृ.क्र. एफ 16-27/2021/ए-ग्यारह  
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 14/12/2021

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
  2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
  3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
  4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
  5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
  6. कलेक्टर, जिला रायसेन।
  7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, वर्धमान यान्स यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईल लि., प्लॉट क्र. A1 To A6, Industrial Area Phase II, सतलापुर, मण्डीदीप, जिला रायसेन-462046
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

CPIC औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग